आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1624

एन. एस. शेखावत से पहले, जे.

मेसर्स पी. पी. ऑटोमोटिव-याचिकाकर्ता

बनाम

जय सिंह-उत्तरदाता

2012 का सी. आर. एम.-ए NO.559-MA

18 अप्रैल, 2023

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-Ss.138,139-दोषमुक्त-विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किए गए चेक को साबित करने में विफल रहा-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से दिनांकित 19.10.2007 के चालान के माध्यम से वाहन खरीदा-दिनांकित 26.03.2008 के चेक द्वारा भुगतान किए गए बिक्री विचार का हिस्सा-असम्मानित-अपर्याप्त धन का चेक-बिक्री प्रमाण पत्र और दिनांकित 19.10.2007 का खुदरा चालान-महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से लिया गया ऋण अपीलार्थी से नहीं दिखाता है-धारा 139 के तहत प्रत्याख्यान योग्य अनुमान - अभियुक्त के लिए संभावित मुद्दा उठाने के लिए खुला है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है-अभियोजन विफल होना चाहिए-अपील खारिज कर दी गई। अभिनिर्धारित किया कि वास्तव में, अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल नहीं है। एक खंडन अनुमान की प्रकृति में यह धारणा और यह हमेशा अभियुक्त के लिए एक बचाव करने के लिए खुला है, जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व का विरोध किया जा सकता है। यह कई निर्णयों में माना गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है। जबकि अधिनियम की धारा 138 में चेक के अपमान के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपचार का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 139 के तहत खंडन योग्य धारणा मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है। हालांकि, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध को एक नियामक अपराध के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का उछलना काफी हद तक नागरिक गलती की प्रकृति का होता है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पक्षों तक ही सीमित होता है। यहां तक कि यह भी तय स्थिति है कि जब अभियुक्त को अधिनियम की धारा 139 के तहत इस धारणा का खंडन करना पड़ता है, तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है। नतीजतन, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन पक्ष को विफल होना चाहिए।

मेसर्स पी. पी. ऑटोमोटिव बनाम जय सिंह

1625

(एन. एस. शेखावत, जे)

(पैरा 9) ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पी. पी. ऑटोमेटिव, करनाल के पक्ष में रुपये की राशि के लिए आई. डी. 4 दिनांकित चेक जारी किया गया है, जबकि अपीलार्थी के पक्ष में क्रमशः आई. डी. 3 दिनांकित बिक्री प्रमाणपत्र (आई. डी. 1) और खुदरा चालान (आई. डी. 2) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऋण महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से लिया गया था। यहां तक कि अपीलार्थी/शिकायतकर्ता भी दो कानूनी संस्थाओं के बीच संबंध को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सके और विद्वत विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि अपीलार्थी रिकॉर्ड पर यह साबित करने में विफल रहा कि चेक Ex.C-3 प्रतिवादी द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था। (पैरा 10) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को बरकरार रखने का आदेश दिया जाता है और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया जाता है। (पैरा 11)

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ बजाज। प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता प्रताप सिंह गिल।

(1) अपीलार्थी/आवेदक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल द्वारा पारित दिनांक 22.07.2011 के विवादित फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है, जिसमें प्रतिवादी/अभियुक्त को बरी करने का आदेश दिया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अभिलेख पर यह साबित करने में विफल रहा कि विचाराधीन चेक प्रत्यर्थी द्वारा अपने कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी किया गया था और तदनुसार, प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत आरोप के नोटिस से बरी कर दिया गया था। (2) वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने यह आरोप लगाते हुए आपराधिक शिकायत दर्ज की थी कि अपीलार्थी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का अधिकृत विक्रेता है और प्रतिवादी ने अपीलार्थी से एक बोलेरो एक्सेल एल. एम. वी. वाहन रुपये की राशि में खरीदा था। प्रत्यर्थी ने नकद में Rs.50,000/- की राशि का भुगतान किया और शेष बिक्री राशि का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा यूको बैंक, सतौन, जिला सिरमौर (एच. पी.) पर अपीलार्थी के पक्ष में जारी किए गए 659812 दिनांकित 26.03.2008 वाले चेक के रूप में किया गया। यह भी आरोप लगाया गया था 2022 (2)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

1626

(3) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। (4) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने उसके नेतृत्व में साक्ष्य की पूरी तरह से अनदेखी करके विवादित निर्णय पारित किया था। अभियुक्त ने किसी वित्त कंपनी की संलिप्तता की एक काल्पनिक कहानी स्थापित की थी, जिसने कथित तौर पर उन्हें किसी अन्य कंपनी से वाहन को वित्तपोषित करने का आश्वासन दिया था और उस स्थिति में, प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से भगवती वित्त कंपनी, पोंटा साहिब (पंजाब) को 7 चेक दिए गए थे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि विचाराधीन चेक प्रत्यर्थी द्वारा अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था और चूंकि रुपये की राशि प्रत्यर्थी के खिलाफ देय थी, इसलिए उसने अपीलार्थी को चेक जारी किया था। इसके अलावा, वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में एक वैधानिक अनुमान था और प्रतिवादी इसका खंडन करने में विफल रहा था।

(5) इसके विपरीत, मैसर्स पी. पी. ऑटोमोटिव बनाम जय सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

1627

(एन. एस. शेखावत, जे)

(6) दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निम्नलिखित चर्चा को देखते हुए बरकरार रखे जाने के लिए उत्तरदायी हैं। (7) अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने एक मामला स्थापित किया था कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने अपीलार्थी से एक बोलेरो एक्सेल एल. एम. वी. वाहन खरीदा था, जिसका बिल दिनांक आई. डी. 2 था और प्रत्यर्थी ने आई. डी. 1,000/- की राशि नकद में दी थी और शेष बिक्री राशि आई. डी. 3-का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा एक चेक के रूप में किया गया था। यह आगे कहा गया कि उक्त चेक प्रत्यर्थी द्वारा अपने कानूनी दायित्व के प्रति और प्रत्यर्थी द्वारा खरीदे गए उपरोक्त वाहन की शेष बिक्री के भुगतान के लिए जारी किया गया था। तत्काल मामले में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी पहले एक-दूसरे को नहीं जानते थे। मान लीजिए कि वाहन 19.10.2007 पर खरीदा गया था और यदि अपीलार्थी की कहानी पर विश्वास किया जाए, तो प्रत्यर्थी को 19.10.2007 पर ही रुपये का चेक जारी करना चाहिए था। यहां तक कि अपीलार्थी ने बिक्री प्रमाणपत्र, दिनांक 19.10.2007 को Ex.C-1 के रूप में और खुदरा चालान दिनांकित 19.10.2007 को Ex.C-2 के रूप में दर्ज किया, यह स्पष्ट है कि कुल रु. 5,20,000-की राशि का भुगतान 19.10.2007 पर ही किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा 26.03.2008 पर रुपये. 4,70,000 के शेष बिक्री विचार का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया बचाव अधिक संभावित था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने भगवती फाइनेंस कंपनी के सुरेश कुमार को सात खाली हस्ताक्षरित चेक दिए थे और वे 2022 (2) के बाद के थे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

1628

(9) वास्तव में, अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य धारणा में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल नहीं है। एक खंडन अनुमान की प्रकृति में यह धारणा और यह हमेशा अभियुक्त के लिए एक बचाव करने के लिए खुला है, जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व का विरोध किया जा सकता है। यह कई निर्णयों में माना गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रारंभिक धारणा है जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है। जबकि अधिनियम की धारा 138 में चेक के अपमान के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपचार का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 139 के तहत खंडन योग्य धारणा मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है। हालांकि, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध को एक नियामक अपराध के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का उछलना काफी हद तक नागरिक गलती की प्रकृति का होता है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पक्षों तक ही सीमित होता है। यहां तक कि यह भी तय स्थिति है कि जब अभियुक्त को अधिनियम की धारा 139 के तहत इस धारणा का खंडन करना पड़ता है, तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है। नतीजतन, यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव करने में सक्षम है जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो अभियोजन पक्ष को विफल होना चाहिए। (10) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रुपये की राशि के लिए 26.03.2008 का चेक पी. पी. ऑटोमेटिव, करनाल के पक्ष में जारी किया गया है, जबकि बिक्री प्रमाण पत्र (Ex. C. - 1) और खुदरा चालान (Ex.C-2), क्रमशः, दिनांक 19.10.2007, मैसर्स पी. पी. ऑटोमोटिव बनाम जय सिंह में

1629

(एन. एस. शेखावत, जे)

(11) इस प्रकार, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखने का आदेश दिया जाता है और तदनुसार, अपील को खारिज कर दिया जाता है। (12) लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(13) विचारण न्यायालय के अभिलेख को वापस भेजा जाए।

शुभरीत कौर